उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः– 330/VIII/19–228(श्रम)/2001–पार्ट–II
देहरादून, दिनांकः 08 मार्च, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा(1) का खण्ड (i) के सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 366/VIII/13–228 (श्रम)/2001, दिनांक 06 मार्च, 2013 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से उत्तराखण्ड में **"काष्ठ कार्य और फर्नीचर के नियोजन"** में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भाग–1

कार्य का वर्ग –

काष्ठ नक्कासी (वुड कार्विंग)

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें। (प्रतिमाह रूपयों में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत	नगर पालिका/छावनी क्षेत्रान्तर्गत	स्तम्भ 3 व 4 को छोड़कर अन्य क्षेत्रों हेतु
1	अकुशल माल ढोने वाले, पैकर, हेल्पर, चौकीदार, सफाईकार, मजदूर और विशुद्ध रूप से अकुशल प्रकार का कार्य करने वाले समस्त अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।	8862	8825	8788
2	अर्द्धकुशल नक्कास (कार्बर), छिलाई करने वाले इन्ग्रेवर कटाई करने वाले (कटर), भराई कर्मकार (इनले), बढ़ई (कारपेन्टर), ड्रायर, फ्रन्टमैन और पालिशगर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय, और जिन्हें कार्य का दो वर्ष से अधिक का अनुभव हो।	8949	8900	8862

351
16/3/19

3	कुशल मिस्त्री और ऐसे अन्य कुशल कर्मकार जिन्हें पांच वर्ष से अधिक का कार्य का अनुभव हो और जो नक्काशी करने, छिलाई करने आदि के अपने–अपने निजी कार्य के अतिरिक्त अन्य कुशल और अर्द्धकुशल कर्मकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हों।	9023	8980	8930
4	लिपिकीय श्रेणी–एक (क) ज्येष्ठ लिपिक, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखा लिपिक, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, ज्येष्ठ प्रधान मुंशी, ज्येष्ठ सेल्समैन, प्रधान लिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय, जिन्हें कार्य का कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो या कोई स्नातक लिपिक जिसे कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।	9190	9141	9097
	लिपिकीय श्रेणी–दो (ख) मुनीम, लेखाकार, रोकड़िया, लेखा लिपिक, टंकक, लिपिक, मुंशी, सेल्समैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय और जो उपर्युक्त 4(क) के अन्तर्गत न आते हों।	9066	9023	8986

भाग–2

कार्य का वर्ग –

फर्नीचर बनाना

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत	नगर पालिका/छावनी क्षेत्रान्तर्गत	स्तम्भ 3 व 4 को छोड़कर अन्य क्षेत्रों हेतु
1	अकुशल माल ढोने वाले, पैकर, हेल्पर, चौकीदार, सफाईकार, मजदूर और विशुद्ध रूप से अकुशल प्रकार का कार्य करने वाले समस्त अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी	8862	8825	8788

	नाम से पुकारा जाये।			
2	अर्द्धकुशल हेल्पर, सहायक कटर, ड्रायर, फ्रन्टमैन या अर्द्ध कुशल प्रकार के कार्य में नियोजित कर्मकार, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय, और जिन्हें कार्य का दो वर्ष से अधिक का अनुभव हो।	8949	8899	8862
3	कुशल बढ़ई, मिस्त्री, पालिशगर, पैर्टन मेकर और ऐसे अन्य कुशल कर्मचारी जिन्हें कार्य का पांच वर्ष का अनुभव हो।	9023	8986	8949
4	लिपिकीय श्रेणी (क) ज्येष्ठ लिपिक, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखा लिपिक, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, ज्येष्ठ प्रधान मुंशी, ज्येष्ठ सेल्समैन, प्रधान लिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय और जिन्हें कार्य का कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो या कोई स्नातक लिपिक जिसे कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।	9190	9141	9091
	(ख) मुनीम, लेखाकार, रोकड़िया, लेखा लिपिक, टंकक, लिपिक, मुंशी, सेल्समैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय और जो उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत न आते हों।	9066	9023	8986

भाग–3

कार्य का वर्ग –

आरा मशीन पर कार्य

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें।		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत	नगर पालिका/छावनी क्षेत्रान्तर्गत	स्तम्भ 3 व 4 को छोड़कर अन्य क्षेत्रों हेतु
1	**अकुशल** माल ढोने वाले, पैकर, हेल्पर, चौकीदार, सफाईकार, मजदूर और विशुद्ध रूप से अकुशल प्रकार का कार्य करने वाले समस्त	8862	8825	8788

	अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये और प्रस्तर–2 में उल्लिखित प्रकार का कार्य करने वाले कर्मचारी जिन्हें कार्य का एक वर्ष से कम का अनुभव हो।			
2	**अर्द्धकुशल** हेल्पर, सहायक आयलमैन, कटर, ड्रायर, फ्रन्टमैन या अर्द्धकुशल प्रकार के कार्य में नियोजित कर्मकार चाहें इन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय और जिन्हें कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो।	8949	8899	8862
3	**कुशल** आरामिल मिस्त्री, मशीनमैन और कुशल कर्मचारी चाहें उन्हें किसी नाम से पुकारा जाय और जिन्हें कार्य का पांच वर्ष का अनुभव हो।	8875	8986	8949
4	**लिपिकीय श्रेणी–** (क) ज्येष्ठ लिपिक, प्रधान मुनीम, मुख्य लेखा लिपिक, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, ज्येष्ठ प्रधान मुंशी, ज्येष्ठ सेल्समैन, प्रधान लिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय, जिन्हें कार्य का कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो या कोई स्नातक लिपिक जिसे कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।	9190	9252	9097
	(ख) कनिष्ठ लिपिक, मुनीम, लेखाकार, रोकड़िया, लेखा लिपिक, टंकक, लिपिक, मुंशी, सेल्समैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय और जो उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत न आते हों।	9066	9023	8986

1– विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 301 अंक पर होंगी।

2– **परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:–** अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3– मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4– घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होंगी।

5– ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तद्नुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

6– मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7– जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8– ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9– यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10– किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्याः– 330 (1)/VIII/19–228(श्रम)/2001–पार्ट–II, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा० श्रम मंत्री, को मा० श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।